HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8449/2025

Bilal Ali S/o Yusuf Ali, R/o Village Chandoli, Tehsil And District Alwar.

----Petitioner/Accused

Versus

1. State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Non-Petitioner/Respondent

2. Hukum Chand S/o Kishanlal, R/o Chandoli, Vijay Mandir, Alwar, Rajasthan.

----Respondent/Complainant

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashish Sharma Upadhyay, Adv. Mr. Mithun Bhai Chaturvedi, Adv. Mr. Jai Kishan Singh, Adv. Mr. Saurabh Yadav, Adv. Mr. Harendra Tiwadi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

24/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **65/2025,** पुलिस थाना– **विजय मन्दिर,** जिला– **अलवर**, अपराध अंतर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 329(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(1)(एफ), 3(2)(वी.ए.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि याची–अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 65/2025 झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित खसरा नम्बर का स्वामी परिवादी नहीं है बल्कि उक्त सभी खसरा नंबरों की स्वामी राजस्थान सरकार है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ ना तो कोई मारपीट की गई है, ना ही उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है, वक्त घटना याची–अभियुक्त मौके पर नहीं था, जिसकी पुष्टि कॉल लॉकेशन से हो सकती है, इस संदर्भ में उन्होंने अनुसंधान अधिकारी को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, किन्तु अनुसंधान अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार किए बिना उसे जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है, याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, तब तक याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **09.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **65/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रकरण **तीन सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

Nikita/19